

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ15ज( )15/श्रम/प्रमुवसं/ 3292-3310

दिनांक 10.8.15

निमित्त,

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जयपुर/वनवर्धन जयपुर।

मुख्य वन संरक्षक,

उदयपुर/जयपुर/कोटा/अजमेर/भरतपुर/बीकानेर/जोधपुर।

(वन्य जीव)जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर/भरतपुर/सरिस्का(मु.) अलवर।

विभागीय कार्य जयपुर/एफपीआरपी जयपुर/आरवीपी कोटा/

एवं प्रावैधिक सहायक प्र.मु.व.सं. राज0 जयपुर।


विषय:-डी बी स्पेशल अपील संख्या 405/07 श्री रिछपाल सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान सरकार।

सन्दर्भ:-इस कार्यालय का समख्यक पत्र क्रमांक 2737-2755 दिनांक 29.06.15

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र से डी बी स्पेशल अपील संख्या 405/09 श्री रिछपाल सिंह एवं अन्य बनाम राज्य में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.12.14 के विरुद्ध अपील करने अथवा नहीं करने की अभिशंषा हेतु गठित प्री लिटिगेशन कमेटी द्वारा बैठक दिनांक 13.04.15 में लिये गये निर्णय के क्रम में सूचना 10 दिवस में इस कार्यालय द्वारा चाही गई थी। उक्त सूचना लगभग 1 माह के समय के उपरान्त भी अप्राप्त है। इस कारण माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.12.14 के विरुद्ध अपील करने अथवा नहीं करने के लिये विचार विमर्श हेतु प्रकरण को पुनः समिति के समक्ष प्रस्तुत करने में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। अतः वांछित सूचना शीघ्र भिजवया जाना सुनिश्चित करावे।

भवदीय

  
(ए.के.सिंह)

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
श्रम एवं विधि,




राज.जयपुर

दिनांक 10.8.15


क्रमांक: एफ15ज( )15/श्रम/प्रमुवसं/3311-3411

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त उप वन संरक्षक/कार्य आयोजना अधिकारी/वन बन्दोस्त अधिकारी को इस कार्यालय के पत्र पृष्ठाकन क्रमांक 2756-2856 दिनांक 29.06.15 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना 3 दिवस में नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को शीघ्र भिजवावे।
2. शाखा प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

  
(ए.के.सिंह)

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
श्रम एवं विधि,



राज.जयपुर